हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 07/2017 अनवान गंगा बनाम खेताराम**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनाक 05.06.2018 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालो की बस्ती बाडमेर आगोर पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	
05.06.2018	**आदेश** यह पत्रावली बमुकाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है। प्रार्थी के हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, जिसे निषेधाज्ञा जारी कर रोके जाने का निवेदन किया। प्रकरण पंजीयन कर प्रार्थी को दिनांक 21.11.2017 से लगातार अप्रार्थीगण के नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेशों की पालना नही की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। प्रार्थी ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रूची नही ली और न ही प्रकरण को निपटाने मे न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय के आदेशो की अवहेलना करने पर आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानो के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश गजमे आम में सुनाया गया। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	

Scanned by CamScanner